E-Newsletter
May 2016

LSG

Local Self Government
Rajasthan

Minimum Government, Maximum Governance

सत्यमेव जयते

Local Self Government Rajasthan

The Department of local self Government, Rajasthan is the controlling Department of all municipalities for all administrative purposes. It also performs monitoring and co-ordination function at the state level for all the 188 municipal bodies of the state.

Functions of Department of Local Self Government Rajasthan

* *Appointment of OICs/Advocate in Court Cases, vetting of reply, opinion on judgment, decision for appeal or no appeal, scrutiny of Bye-Laws and Rules and Amendments in Acts and Rules.*
* *Approval of Budget of ULBs and released of funds regarding Special Grant, General Grant, SFC, TFC, Grant (in Lieu of Octroi) and State/Centrally Sponsored Schemes/Programme.*
* *Disposal of matters related to transfer, establishment, DPCs related to officers and staff of ULBs, DDR offices and Directorate.*
* *Extension and Exclusion of Municipal boundary, Election of Municipal Boards.*
* *Implementation of HRD Plan for elected representatives, and officials of ULBs.*
* *Implementation of Poverty Alleviation and social responsibilities Programmes.*
* *Issuance of Financial, Administrative and Technical Sanctions which are not in the Jurisdiction of the elected board.*
* *Preparation of Annual Plan/District Plan/Action Plan/DPRs related to various GoI/GoR schemes/Programmes.*

Various Schemes

AMRUT – (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation)

Urban Infrastructure Development of 29 Towns > 1.0 lac population.

Total Estimated Project cost Rs 4500 cr (50% GoI, 30% GoR, 20% ULB)

Components to be covered - Water supply, Sewerage network, Septage management, Storm water drainage, Urban Transport, Green spaces and parks.

HRIDAY-Heritage Cities Infrastructure Development & Augmentation

- Ajmer – Pushkar nominated under HRIDAY– 100% grant by GoI.
- City HRIDAY Plan for Rs 48.00 cr. approved by MoUD, GoI.

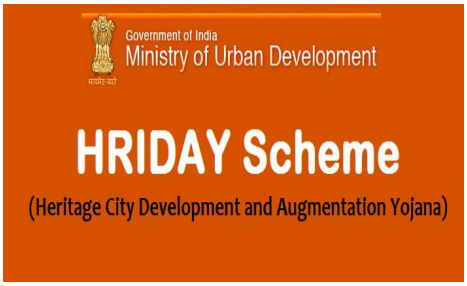

National Urban Livelihood Mission (NULM)

- Focus on Skill Training & Placement and Capacity Building / Self Employment.
- Major components- Shelter for Urban Homeless, Support to Urban Street Vendors.

स्मार्टराज कॉल सेन्टर

आम जनता की शिकायतों को हल करने का अनूठा प्रयास ....

स्वायत्त शासन विभाग कार्यालय में आमजन के लिए स्मार्ट राज कॉल सेन्टर दिनांक 11.05.2015 माननीय मंत्री महोदय श्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन कर प्रारंभ किया गया है। जिसके टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 है जिसमें आईवीआर नं0 2 तत्पश्चात् 1 पर आमजन की कॉल प्राप्त कर उन्हें विभाग के संबंध में चाही गई जानकारियां उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ नगरीय निकायों व विभाग से संबंधित शिकायतें सम्पर्क पोर्टल पर निरंतर दर्ज की जा रही है। 11 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक 109588 कॉल प्राप्त हुई एवं 8600 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 5894 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

दर्ज शिकायतों को संबंधित निकायों/निदेशालय के अनुभागों को प्रेषित किया जाता है तथा जो शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित है, उन्हें संबंधित विभागों में स्थानांतरित किया जाता है। शिकायतों के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉल सेन्टर के नोडल अधिकारियों को कॉल कर अवगत/निर्देशित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त जवाब को भी निरंतर दर्ज कर दैनिक रिपोर्ट बनाई जाती है।

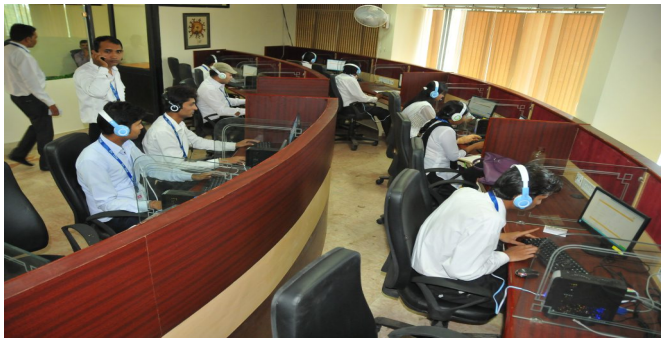

स्वच्छ भारत मिशन

खुले में शौच से मुक्त की राह में राजस्थान ....

स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान है जो 02 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2019 तक भारत को 'खुला शोच मुक्त भारत' घोषित करना है। स्वच्छ भारत मिशन के सफल क्रियान्वन हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा LSGD, GoR को नोडल विभाग बनाया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत (शहरी) के 10 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा 'स्वच्छ राजस्थान सप्ताह' मनाया गया जो कि 02 अक्टूबर, 2014 को प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा स्वच्छता शपथ लिये जाने के साथ सम्पन्न हुआ।

इसी सप्ताह को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ''स्वच्छ राजस्थान अभियान'' चलाया गया जो दिनांक 21 अक्टूबर 2014 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन अभियानों के दौरान साफ, सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया और सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रभात फेरी, रेली, श्रमदान आदि जैसे कार्य संपादित हुए। तत्पश्चात राज्य की समस्त निकायों द्वारा 08 नवम्बर से 14 नवम्बर तक सफाई अभियान चलाया गया जो बालदिवस पर सम्पन्न हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हेतु 12 फरवरी 2015 को राज्य स्तर, जिला स्तर व शहरी स्तर पर समितियों का गठन किया गया। राज्य के 187 शहरी निकायों में 9 मार्च से 27 मार्च तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत शहरों में नालों की सफाई, रोड़ की सफाई, पार्को की सफाई, रोड़ लाइटों का रखरखाव, स्कूलों व राजकीय कार्यालयों की सफाई, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान (सर्वे द्वारा) आदि शामिल थे साथ ही शहरी स्तर पर प्रत्येक निकायों द्वारा सामुदायिक जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम जिनमें वार्ड़ सभाऐं, नुक्कड नाटक, अपील, रेली आदि आयोजित की गई जिससे जन समुदाय को स्वच्छत्ता व सफाई आदि के महत्व का पता चल सके व खुले में शौच का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों का भी ज्ञान दिया गया। अगस्त 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में सहयोग व सभी नगरीय निकाय से संपर्क स्थापित कर स्वच्छ भारत मिशन कार्य को गति देने हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर प्रत्येक संभाग की स्वच्छ भारत मिशन पर आमुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन सी.एम.ए.आर. द्वारा कराया गया प्रथम चरण (9 April, 16 April, 28 April & 29 April, 2015) द्वितीय चरण में परियोजना प्रबंध इकाई (PMU) तथा सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व CSC के संदर्भ व्यक्तियों द्वारा (26th October to 04th November, 2015) तकनीकी अधिकारियों और कम्प्यूटर ऑपरेटरर्स को स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक घटक को विस्तार पूर्वक बताया गया और प्रत्येक शहरी निकाय को लक्ष्य बताये गए तथा 2015–16 के और संपूर्ण मिशन अवधि 2019 के बारे में जानकारी दी।

अमृत मिशन योजना

शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु अटल प्रयास...

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 28 शहरों के ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाने के लिए दो दिवसीय ''हैण्ड होल्डिंग'' कार्यशाला (10 व 11 अगस्त) का आयोजन स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में किया गया।

इस कार्यशाला में स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि अमृत योजना के तहत बनाये जाने वाले ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट प्लान'' सम्बन्धित शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बनाया जाये। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन में पूर्व में रही कमियों को अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) में नहीं दोहराया जाये। उन्होनें कहा कि शहरों में सीवरेज योजनाओं के प्रारम्भ करने से पूर्व में जारी पेयजल योजनाओं के सशक्तीकरण एवं सेवा स्तर को सुधारते हुए कवरेज (आवृत) क्षेत्र में गेप पूरा किया जाए। उन्होने बताया कि अमृत योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार यूनिवर्सल कवरेज (पेयजल एवं सीवरेज) को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इन क्षेत्रों के गेप को पूरा होने पश्चात् ही अन्य क्षेत्रों में शहरी परिवहन एवं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज को प्रारम्भ किया जाये।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि अमृत योजना में शहरी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत योजना में सम्मिलित प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा वर्ष में एक उद्यान का विकास किया जाना आवश्यक है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट डवलपमेंट एण्ड मेनेजमेंट कंसलटेन्ट की नियुक्ति की जायेगी जिसका कार्य शहरों का ''सिटी लेवल सर्विस इम्प्रुवमेंट प्लान'' बनाकर तद्नुसार राज्य की वार्षिक योजना तैयार कर अनुमोदन पश्चात् डीपीआर तैयार करना एवं प्राजेक्ट के क्रियान्वयन का सुपरविजन करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्राालय, भारत सरकार के निदेशक श्री दिनेश कुमार के साथ विशेषज्ञों के दल ने ''सिटी लेवल इम्प्रुवमेंट

प्लान'' (पेयजल सीवरेज शहरी परिवहन स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज एवं उद्यानों) के बनाये जाने के लिए प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पुरूषोत्तम बियाणी, मुख्य अभियंता रूफडिको श्री एस.के. गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रूफडिको श्री ललित करोल तथा 28 शहरी निकायों के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्ता उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन RUIFDCO तथा CMAR के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

राजीव आवास योजना, आईएचएसडीपी, बीएसयूपी, एवं स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा

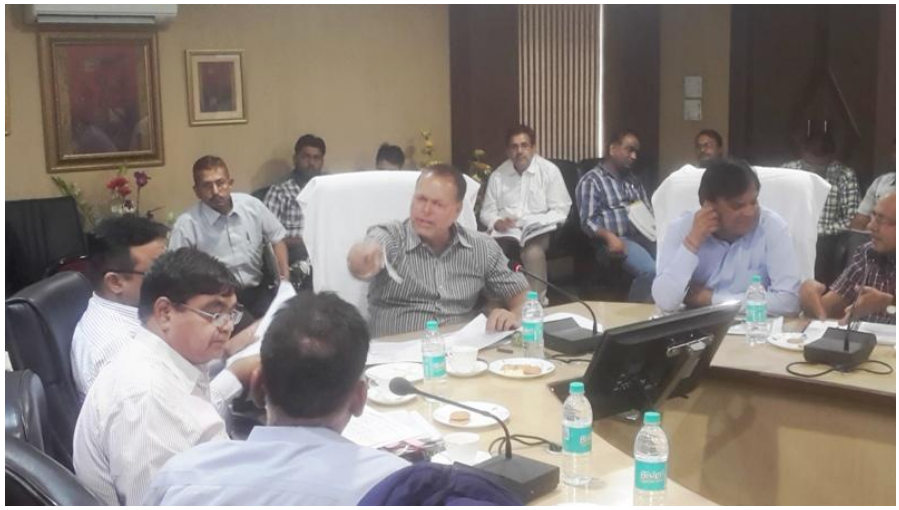

राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास परियोजना (आईएचएसडीपी), गरीबों के लिए बुनियादी सेवा योजना (बीएसयूपी), स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में डॉ मनजीत सिंह ने कि राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास परियोजना (आईएचएसडीपी), गरीबों के लिए बुनियादी सेवा योजना (बीएसयूपी) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि उक्त योजनओं में कुल 75 हजार मकान बनाये जाने की डीपीआर बनायी गई थी, जिनमें से 60 हजार मकान बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होनें सभी नगरीय निकायों को उक्त कार्य आगामी तीन माह में पूरा कर संबंधित लाभार्थी को कब्जा दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि उपरोक्त योजना के तहत जिन नगरीय निकायों में मकान बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वे शीघ्रतिशीघ्र लाभार्थियों को कब्जा देने का कार्य प्रारम्भ करें।

डॉ. मनजीत सिंह ने रूडसिको के अधिकारियों को निर्देशित किया की वे योजनाओं में पूर्व निर्धारित राशि मे से शेष रही राशि सभी नगरीय निकायों को शीघ्र ही हस्तांतरित करें। उन्होनें कहा कि उक्त सभी योजनाएं मार्च 2017 तक पूर्ण होनी है। अतः योजनाओं के सभी कार्यो को नगरीय निकाय माह दिसम्बर तक पूर्ण कर लेवें। उन्होनें जन आवास योजना में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में योजनाओं के लिए दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए रूडसिकों के माध्यम से अपने–अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में राजीव आवास योजना, एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास परियोजना (आईएचएसडीपी), गरीबों के लिए बुनियादी सेवा योजना (बीएसयूपी) के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में बनाये गये/बनाये जा रहे मकानों की समीक्षा की गई साथ ही उनके आवंटन के लिए भी आवश्यकता निर्देश दिये गये।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया की सभी योजनाओं में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाये तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीवर कनेक्शन का कार्य भी किया जाये। उन्होनें निर्देशित किया की किसी भी नगरीय निकाय में कोई भी घर सीवर कनेक्शन के बिना ना रहे,

साथ ही नगरीय निकाय अपने–अपने क्षेत्रो में स्थित राजकीय कार्यालयों, स्कूल, कॉलेजेां एवं अन्य सरकारी संस्थानों को आवश्यक रूप से सीवरेज से जौड़े ।

अमृत योजना की स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक में 4653 करोड़ रूपये की पाँच वर्षीय कार्य योजना एवं चालू वित्तीय वर्ष 1415 करोड़ रूपये की कार्य योजना के प्रस्तावों की अभिशंषा की गई

अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) की स्टेट लेवल हाई पावर कमेटी की दूसरी बैठक मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार दोपहर 12:30 बजे आयोजित हुई। बैठक में 4653 करोड़ रूपये की 5 वर्षीय कार्य योजना एवं चालू वित्तीय वर्ष 1415 करोड़ रूपये की कार्य योजना के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को स्वीकृती हेतु भेजे जाने की अभिशंषा की गई।

बैठक में अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत अब तक किये गये कार्यो एवं पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान रूडसिकों के मुख्य अभियन्ता श्री एस.के. गोयल द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अब तक 899 करोड़ रूपये के जल आपूर्ति एवं सीवरेज से संबंधित 16 परियोजनाओं के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 3 स्टेट लेवर टेक्नीक्ल कमेटी द्वारा 1939 करोड़ रूपये की 33 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। जिसमें से 540.39 करोड़ रूपये की 12 जल आपूर्ति तथा 1371.54 करोड़ रूपये की 16 सीवरेज योजनाओं एवं 11.50 करोड़ रूपये की एक ड्रेनेज परियोजना तथा 16 करोड़ रूपये की 4 ग्रीन स्पेस परियोजनाओं को स्वीकृत दी जा चुकी है। प्रस्तुतीकरण में सीवरेज, जल आपूर्ति, ग्रीन स्पेस परियोजनाओं में स्मार्ट सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से बताया गया।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि भिवाड़ी, अलवर, सीकर की सीवरेज परियोजनाओं के लिए 350 करोड़ रूपये की लागत से किये जाने वाले कार्य का कार्यादेश L&T को दिया जा चुका है। शेष परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित की गई है।

बैठक में वरिष्ठ नगर नियोजक श्री आर.के. विजयवर्गीय ने अमृत योजना के तहत किये गये रिफार्मस् की विस्तृत जानकारी दी एवं बताया कि देश में राजस्थान पहला प्रदेश है, जिसने केन्द्र सरकार को अमृत योजना के तहत रिफार्मस् की पूर्ण योजना सर्वप्रथम पेश की है। उन्होनें बताया कि अमृत योजना में रिफार्मस् के तहत सभी 29 शहरों को सर्विस लेवल इम्प्रुमेन्ट प्लान तैयार किये गये है तथा सभी नगरीय निकायो की क्रेडिट रेटिंग के लिए नियुक्त सलाहकारों द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी नगरीय निकायो की डिजीटल वेबसाईट्स प्रारम्भ की गई है एवं उन्हें निरन्तर अपडेट किया जा रहा है तथा ई—न्यूज लेटर का त्रैमासिक रूप से प्रकाशित करना होगा। सभी नगरीय निकायों में डबल एन्ट्री

अकाउन्टींग सिस्टम प्रारम्भ कर दिया गया है एवं वेबसाईट पर नगरीय निकायों की बैलेन्स शीट अपलोड करनी होगी।

बैठक में अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत आगामी 5 वर्षीय कार्य योजना राशि 4653 करोड़ रूपये एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 की कार्य योजना कुल राशि 1415 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा भारत सरकार को स्वीकृती हेतु भेजे जाने की अभिशंषा की है।

केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा।

केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री राजीव गोवा ने उच्च स्तरीय बैठक में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में मुख्य रूप से राजस्थान में जारी विभिन्न परियोजनाओं जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation), स्मार्ट सिटी परियोजना, एनयूएलएम, ह्रदय, एनर्जी सेविंग की एलईडी परियेाजना, जीआईएस मेपिंग योजना, स्मार्ट राज, ई–गर्वेनेन्स परियोजना की समीक्षा की गई।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश के सभी शहरो को खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने पर बल दिया। उन्होनें कहा की हम सभी शहरों को तब ही खुल में शौच से मुक्त कर सकते है, जबकि यह विषय जन आन्दोलन का रूप लेवें। उन्होनें ने कहा की इसके लिए आवश्यक है कि आमजन को इस विषय पर जागरूक किया जाये कि घर में शौचालय निर्माण से उसका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा तथा समाज में उसकी इज्जत भी बढेगी।

उन्होने योजनाओं की समीक्षा करते हुए अब तक किये गये कार्यो पर खुशी जाहिर की तथा मुख्य रूप से स्मार्ट राज एलईडी परियोजना जीआईएस मेपिंग प्रोजेक्ट, ई–गर्वेनेन्स व ह्रदय योजना पर राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो पर विशेष रूचि दिखाई। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् उनके रखरखाव पर संवेदको के द्वारा किये जा रहे कार्यो पर भी क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाये।

उन्होने बैठक में प्रदेश के विभिन्न शहरो मे जारी सीवर प्रोजेक्ट के तहत् डाली जा रही सीवर लाईनों की जानकारी ली एवं निर्देश दिये की जहां–जहां पर सीवर लाईन प्रोजेक्ट के तहत् सीवर लाईन डाली जा चुकी है। वहां–वहां पर शीघ्रातिशीघ्र प्रोपर्टी कनेक्शन किये जाये। उन्होने यह निर्देश भी दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को भी दी जाये तथा उन्हे जागरूक किया जाये।

बैठक में अजमेर स्मार्ट सिटी के प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई एवं अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। श्री गोवा ने निर्देश दिये कि अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी प्रस्तावों को 30 जून से पूर्व केन्द्र सरकार को भिजवाये जाये। जिससे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आगामी चयन के दौरान अजमेर को स्मार्ट सिटी चुने जाने के लिए उसके प्रस्तावों पर विचार किया जा सके।

बैठक मे केन्द्रीय सचिव ने प्रदेश के अजमेर व पुष्कर जैसे अन्य पर्यटक शहरों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जनसुविधा केन्द्र निर्माण करने के निर्देश भी दिये। उन्होने अजमेर की आनासागर व फायसागर लेख की परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा की एवं इस परियोजना को अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डो के अनुरूप खूबसूरत बनाने के निर्देश दिये।

राजस्थान लेक डवलपमेंट ऑथरिटी की द्वितीय बैठक आयोजित

राजस्थान लेक डवलपमेंट ऑथरिटी की प्रथम बैठक स्वायत्त शासन भवन में प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में प्रदेश की सभी झीलों के विकास के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि वे अपने–अपने जिलों में स्थित झिलों के विकास के लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश में स्थित सभी झीलों को डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जावे तथा झीलों के संरक्षण के लिए पूर्व में केन्द्र सरकार को भेजी गई डीपीआर को स्वीकृती हेतु प्रमुख शासन सचिव की ओर से पत्र भिजवाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान लेक डवलपमेंट ऑथरिटी का गठन 15 जनवरी 2015 को राजस्थान लेक डेवलमेंट ऑथरिटी अध्याधेश के माध्यम से किया गया। राजस्थान लेक डेवलमेंट ऑथरिटी के गठन से प्रदेश की झीलों का संरक्षण सर्वेक्षण एवं विकास हो सकेगा तथा अतिक्रमण रोकने में सहायक होगा।

कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी (CBMWTF) की स्थापना करने के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक

नगरीय ठोस अपशिष्ठ एवं जीव चिकित्सा अपशिष्ठ के निस्तारण के लिए कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी (CBMWTF) की स्थापना करने के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की 12वीं बैठक प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में प्रदेश के चार स्थानों जयपुर ग्रामीण (दौसा), चित्तौड़गढ़ (राजसंमंद), जालौर (सिरोही), नागौर में बायोमेडिकल संयंत्र लगाने की प्राप्त दरों पर चर्चा कर दरों का निर्धारण किया गया एवं संबंधित नगरीय निकाय को निर्देशित किया गया कि एक माह में स्वीकृत एजेन्सी से अनुबन्ध कर कार्य प्रारम्भ करवाया जाये।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन में शिवगंज, सुमेरपुर, तख्तगढ़ में घर–घर कचरा संग्रहण परिवहन व प्रोसेसिंग कार्य के साथ पाली व भरतपुर में प्रोसेसिंग प्लान्ट का पुर्ननिर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृती प्रदान की गई।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत 40 क्लस्टरों में 90 नगरीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट एवं सेनेट्री लैण्डफिल (Sainitry Landfill) के लिए निविदाएं आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये। नगर निगम भरतपुर क्षेत्र में बायोमेडिकल निस्तारण कार्य आवंटित एजेन्सी द्वारा नहीं किये जाने पर संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

दौसा जिले में महुआ ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाये जाने का निर्णय

राज्य सरकार द्वारा दौसा जिले में महुआ ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाये जाने की स्वीकृती प्रदान कर दी गई है।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार महुआ को नगर पालिका बनाये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी। उन्होनें बताया कि नव–निर्मित महुआ नगर पालिका में ग्राम पंचायत महुआ के साथ–साथ ग्राम पंचायत ठेकड़ा, ग्राम धन्तूरी, ग्राम नयागांव, ग्राम बरीतकी, ग्राम हड़िया, ग्रामी अलीपुर, ग्राम रामगढ़, ग्राम शहदपुर, ग्राम पाली, ग्राम अमोलकनगर, ग्राम मोटूका, ग्राम बिराना एवं ग्राम अकबरपुर सहित कुल 14 ग्राम उक्त नगर पालिका में शामिल होंगे। जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 50,264 है। उन्होनें कहा कि महुआ को नगर पालिका बनाये जाने से उक्त क्षेत्रों का विकास होगा।

केन्द्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू को मुख्यमंत्री ने पत्र लिख कर अमृत योजना के तहत सीवरेज परियोजना का शिलान्यास करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने केन्द्रिय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू को पत्र लिख कर अमृत योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के तहत अलवर, सीकर व भिवाड़ी शहर में सीवरेज परियोजना का शिलान्यास करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने केन्द्रिय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के 29 शहरों में अमृत योजना के तहत 33 विभिन्न परियोजनाएं राशि रूपये 1939. 32 करोड़ की स्वीकृत की गई है। जिसमें मुख्य रूप से वाटर सप्लाई की 12 परियोजनाओं पर 540.29 करोड़ रूपये, सीवरेज की 16 परियोजनाओं पर 1371.54 करोड़ रूपये ड्रेनेज की एक परियोजना पर 11. 50 करोड़ रूपये एवं ग्रीन स्पेस की 4 परियोजनाओं पर 16 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। उन्होनें पत्र में बताया है कि सीवरेज की 16 परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। जिसमें से अलवर, सीकर व भिवाड़ी शहरों में कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। उन्होनें लिखा है कि उक्त सभी कार्य आपके मार्ग दर्शन एवं सहायोग के बिना संभव नहीं है। पत्र में बताया गया है कि सीवरेज परियोजना का शिलान्यास आगामी 10 दिवस में किया जाना है।

स्मार्ट राज परियोजना में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ 90 ए के तहत रूपान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन एवं भवन मानचित्र अनुमोदन को राज्य सरकार की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिंस्टम में समायोजित कर आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ

स्मार्ट राज परियोजना के तहत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ 90 ए के तहत रूपान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन एवं भवन मानचित्र अनुमोदन को राज्य सरकार की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिंस्टम में समायोजित कर आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि द्वारा स्मार्ट राज परियोजना के तहत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में ई–गर्वनेंस परियोजना क्रियान्विति की जा रही है। परियोजना के तहत आम नागरिकों को नगरीय निकायों से संबंधित समस्त कार्य यथा नगरीय विकास कर, भू–रूपान्तरण, भू उपयोग परिवर्तन, भवन मानचित्र अनुमोदन, अग्मिशमन आपत्ति अन्य किसी भी प्रकार की एनओसी आदि का कार्य ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत किया जायेगा।

प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ 90 ए के तहत रूपान्तरण, भू–उपयोग परिवर्तन एवं भवन मानचित्र अनुमोदन को राज्य सरकार की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिंस्टम समायोजित कर आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इनमें से 90 ए एवं भू–उपयोग परिर्वतन का आवेदन सिंगल विंडो की वेबसाईट पर एवं भवन–मानचित्र अनुमोदन का ऑनलाईन आवेदन सिंगल साईन ऑन वेबसाईट पर प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदन भी प्राप्त होने शुरू हो गये है। उल्लेखनीय है कि गत 4 जून को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ली गयी बैठक में यह प्रक्रियाएं अविलम्ब प्रारम्भ करने के लिए निर्देश दिये गये थे।

<u>प्लास्टिक कैरी बैग की प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान</u>

<u>21 जून, 2016 से 30 जून, 2016 तक चलेगा</u>

जयपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में 21 जून, 2016 से 30 जून, 2016 तक प्लास्टिक कैरी बैग की प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि प्लास्टिक के कैरी बैग्स पर्यावरण को दूषित करते है। इनका उपयोग पर्यावरण के साथ–साथ, भू–जल को भी प्रभावित करता है एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है तथा सीवर लाईन, नालियों को भी अवरूद्ध करते है, जिससे गम्भीर पर्यावरणीय समस्याऐं उत्पन्न होती है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा–5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 अगस्त, 2010 से प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबन्धित किया गया है, तथा निर्देश दिये गए है कि ''कोई व्यक्ति जिसमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, फेरी लगाने वाला या रेडी वाला सम्मिलित है वह सामान को बेचने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि कोई व्यक्ति 1 अगस्त, 2010 से राजस्थान राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विर्निमाण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन नही करेगा।

उन्होनें बताया कि खाद्य सामग्री, दूध और नर्सरी के उन्नत पौधो की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आधान, (Containers) कैरी बैग नहीं है किन्तु ऐसे प्लास्टिक आधान, (Containers) जो पूर्ण रूपेण सील पैक न होकर धागा, रस्सी या स्टेपलर इत्यादि से बांधे गए हो वो प्लास्टिक कैरी बैग की श्रेणी में ही आयेगें और उनका विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।

उन्होनें कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियत 1986 की धारा 15(1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों नियमों, आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की अवधि का कारावास एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों के दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा तथा इसके बाद भी यदि कोई उल्लघंन जारी रखता है तो उसको अतिरिक्त शासित से दण्डित किया जायेगा जो प्रतिदिन 5000 रूपये तक की हो सकेगी। धारा 15(2) के अनुसार यदि कोई उक्त प्रावधानों का उल्लंघन, दोषसिद्धि के बाद भी लगातार एक साल तक जारी रखता है तो उस अपराधी को सात वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा।

पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 16 के अनुसार इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध यदि कम्पनी द्वारा किया जाता है तो उसके निदेशक/प्रबंधक/सचिव या अन्य अधिकारी जो कम्पनी का हिस्सा है, को अपराध का दोषी समक्षा जायेगा और उसके खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 15000 शहरी गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं 12500 युवाओं को ऋण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण दिये जाने का लक्ष्य

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 8750 स्वयं सहायता समूहों को गठन किया जायेगा तथा 15000 शहरी गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं 12500 युवाओं को ऋण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन नगरीय निकायों में आश्रय स्थल नहीं है। वहां पर स्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संचालन किया जायेगा।

यह निर्णय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में सोमवार को लिया गया है। बैठक स्वायत्त शासन भवन में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, डॉ मनजीत सिंह ने वर्ष 2015—16 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं बैंको द्वारा व्यक्तिगत ऋण घटकों की समीक्षा की गई। बैठक में परियोजना निदेशक प्रीती माथुर ने बताया कि प्रदेश के 40 शहरों में 3877 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 56 नये आश्रय स्थल स्वीकृत किये जाकर 25 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 40 आगामी 3 माह में पूर्ण हो जायेंगे। उन्होनें बताया कि प्रदेश के 21 शहरों में स्ट्रीट वेण्डर का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है तथा सभी शहरों में टाऊन वेण्डिंग कमेटियों के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

बैठक में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2016—17 की वार्षिक योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में बताया गया कि इस योजना को अब प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में लागू किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 8750 स्वयं सहायता समूहों को गठन किया जायेगा तथा 15000 शहरी गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं 12500 युवाओं को ऋण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण दिये जाने का

लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन नगरीय निकायों में आश्रय स्थल नहीं है। वहां पर स्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संचालन किया जायेगा।

नगरीय परिवहन कम्पनियों के कार्यो की समीक्षा

जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर की नगरीय परिवहन कम्पनियों के कार्यो की समीक्षा बैठक प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हूई।

बैठक में जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर की नगरीय परिवहन कम्पनियों के कार्यो की समीक्षा प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह द्वारा समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि सभी कम्पनियों के बोर्डो की बैठक समय–समय पर बुलायी जाये तथा सभी कम्पनियों कम्पनी सैक्रटरी की नियुक्ति की जाये एवं सभी कम्पनियों का नियमित रूप से ऑडिट करवाया जाये तथा वार्षिक प्रतिवदेन रिपोर्ट तैयार की जाये एवं सभी कम्पनियां अपना–अपना ऑपरेशन प्लान भी प्रस्तुत करें। बैठक में यह निर्देश भी दिये गये कि सभी शहरों में पीपीपी मोड पर वातानुकुलित आधुनिक बसों का संचालन करवाया जाये तथा नयी बसों का संचालन एवं रखरखाव भी पीपीपी मोड पर करवाया जाये साथ ही सभी शहरों में अति आधुनिक बस की शेल्टर रियल टाईम इन्फॉरमेशन की सुविधा के साथ बनवाये जाये तथा सभी बस शेल्टरो में दिव्यंगों के लिए उचित व्यवस्था की जाये।

बैठक में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक श्री नरेश शर्मा ने बताया कि माह सितम्बर तक जयपुर में 100 नई बसें और आ जायेंगी तथा चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर शहर के उप नगरों में पीपीपी मोड पर बसें चलायी जानी प्रस्तावित है। उन्होनें बताया कि बगराना में डिपो का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा शहर में कुल 4 डिपों का निर्माण किया जायेगा एवं नये बस शेल्टर भी बनाये जायेंगे। कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर की नगरीय परिवहन कम्पनियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भी आवश्यकतानुसार पीपीपी मोड पर बसों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की चतुर्थ बैठक

प्रदेश के 9 शहरों में कम्पोस्ट व रिफ्यूजी ड्राईव प्लान्ट (RDF) लगाये जाने की एवं एक शहर में कचरे से ऊर्जा बनाने का प्लान्ट लगाने की स्वीकृती

स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की चतुर्थ बैठक प्रमुख शासन सचिव, डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में अलवर, झुंझुनू, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, बून्दी, बारां, हनुमानगढ़, गंगानगर के कम्पोस्ट व रिफ्यूजी ड्राईव प्लान्ट (RDF) लगाये जाने की तथा कोटा में कचरे से ऊर्जा बनाने के प्लान्ट लगाये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई। बैठक में अजमेर व उदयपुर में वेस्ट टू एनर्जी की निविदाएं पुनः आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही प्रदेश के 104 शहरों 42 क्लस्टरों में विभक्त करते हुए रिफ्यूजी ड्राईव प्लान्ट (RDF) एवं कम्पोस्ट प्लान्ट की निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई तथा 62 नगरीय निकायों की स्वच्छ भारत मिशन की डीपीआर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईकाई की अभिशंषा पर अनुमोदित की गई।

बैठक में सभी नगरीय निकायों को डोर टू डोर कचरा एकत्रिकरण करने एवं स्वच्छ भारत मिशन के तहत गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से किये जाने से निर्देश दिये। डॉ. मनजीत सिंह ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को कहा कि प्रदेश के 33 शहरों को दिसम्बर, 2016 तक खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जावे। उन्होनें सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों एवं घरेलू शौचालयों के निर्माण में और अधिक तेजी लाने के निर्देश भी सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिये।

एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट की समीक्षात्मक बैठक

ऊर्जा बचत के लिए प्रदेश में जारी एल.ई.डी. लाईट प्रोजेक्ट की प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, डॉ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने EESL के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रदेश में राज्य स्तरीय कॉल सेन्टर बनाये तथा रात्रि 12:00 बजे बाद सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में लगी लाईटों को कम रोशनी में बदलने की व्यवस्था करें। उन्होनें बैठक में EESL द्वारा 100 नगरीय निकायो में LED लाईटें लगाने के लिए शीघ्र निविदा करने के निर्देश दिये साथ ही उन्होनें कहा कि सेन्ट्रल कन्ट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम के पैनल लगाये जाने की गति बढ़ायी जाये साथ ही जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, पाली, चुरू, रतनगढ़, अलवर, बीकानेर, माउण्ड आबू आदि में लगायी गयी LED लाईटों के रख–रखाव कार्य में सुधार के निर्देश दिये।

प्रमुख शासन सचिव ने EESL के अधिकारियों के कहा कि वे नगरीय निकायों में LED लाईट लगाये जाने के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व स्थानीय आवश्यकतानुसार रोशनी की व्यवस्था कराये एवं इसकी कार्य योजना हेतु सिटी एल्यूमिनेशन प्लान बनाया जाये एवं इसके अनुरूप LED लाईटें लगयी जाये जिससे सभी स्थानों पर 50 प्रतिशत विद्युत की बचत हो सके। उन्होनें रील के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी नगरीय निकायों में ऊर्जा बचत एवं लक्ष्य लेवल की गणना थर्ड पार्टी इंसपेक्शन के रूप में करें। बैठक में उपस्थित ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे सभी नगरीय निकायों में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के विद्युत कनेक्शनों की मीटरिंग व्यवस्था को दुरूस्त करें एवं विद्युत उपभोग के बिल संबंधित नगरीय निकाय को देवें तथा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में काम आ रही ओवर हैड लाईनों को सुधारें जिससे बिजली में फाल्ट न आवें।

बैठक में EESL के प्रतिनिधि ने बताया कि अब तक प्रदेश में 23 नगरीय निकायों में LED लाईटें लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा अब तक 3,26,545 LED लाईटें लगाये जा चुकी है तथा 435 सेन्ट्रल कन्ट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम CCMS लगाये जा चुके है।

स्मार्ट सिटी की राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तृतीय बैठक

स्मार्ट सिटी की राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तृतीय बैठक सचिवालय में मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में जयपुर व उदयपुर सिटी के स्मार्ट सिटी में चयन पश्चात् किये गये कार्यो एवं जारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन द्वारा की गई। इस दौरान अजमेर व कोटा के स्मार्ट सिटी प्रपोजल के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण दिया गया। अजमेर का प्रस्तुतीकरण अजमेर कलेक्टर श्री गौरव गोयल द्वारा दिया गया जिसमें उन्होनें अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने पर 1947.52 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसमें एरिया बेस्ड डवलपमेंट पर 1731.91 करोड़ रूपये के प्रस्तावों की जानकारी दी गई। जिसके तहत आना सागर, मार्टिन डेल ब्रिज, रेल्वे स्टेशन, दौलत बाग, मदार गेट, बस स्टेण्ड, सिविल लाईन, वैशाली नगर आदि क्षेत्र शामिल किये गये है। इसी प्रकार 215.68 करोड़ यपये के पेन सिटी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। जिसके तहत एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा एवं जॉच सिस्टम, स्ट्रीट लाईट का इंटेलीजेंट सिस्टम, सिटी ई—गर्वेनेंस के कार्य किये जायेंगे।

कोटा का कोटा स्मार्ट सिटी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण कोटा नगर निगम के आयुक्त श्री शिव प्रसाद मदान नकाते द्वारा किया गया जिसमें उन्होनें कोटा को स्मार्ट सिटी बनाये जाने पर 1455 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये। जिसमें ऐरिया बेस्ट डवलपमेंट पर 1067 करोड़ रूपये जिसके तहत किशोर सागर एवं कोटरी तालाब के आस—पास के क्षेत्र को विकसित करना है। कोटा को पेडेस्ट्रियल सिटी (पैदल चलने योग्य) बनाना, वाटर बॉडी का संरक्षण करना, दशहरा मैदान का विकास, टूरिज्म एक्जीविटीज, रोजगार के साधन विकसित करना शामिल है। इसी प्रकार 319 करोड़ रूपये के पेन सिटी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिनमें वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट शामिल है।

Local Self Government

Shri Rajpal Singh Shekhawat(Honorable Minister UDH)
(O)Ph No.+91141-2227533,

Shri Manjeet Singh(IAS) - Principal Secretary
Ph No. +91141-2227128

Shri Purushottam Biyani (IAS) Director and Joint Principal Secretary
Ph No.+91141-2222403
Fax: 0141-2222403

Call Center Toll free No.:- 1800-180-6127

Office-Local Self Government Department (Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur) G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur - Rajasthan -India

Contact Us